छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

-------

**क्रमांक एफ 2-24/2024/20-तीन,** नवा रायपुर, दिनांक **28/04/2025**

प्रति,

**1.** समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

**2.** समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ़।

विषयः- शालाओं एवं शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण किये जाने के संबंध में।
संदर्भः- विभागीय समसंख्यक निर्देश दिनांक **02.08.2024.**

------

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित निर्देश का कृप्या अवलोकन करें, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गए हैं।

2/ शासन द्वारा शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के लिए संशोधित समय सारिणी भेजी जा रही है।

3/ कृपया शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए संशोधित समय सारिणी के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
PARDESHI SIDDHARTH KOMAL
Date: 28-04-2025 17:33:45

(सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

.छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर–492002

=========0=========

क्र. एफ 2–24/2024/20–तीन, नवा रायपुर, दिनांक 02/08/2024

प्रति,

01.समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़
02समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़

विषयः– शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण किये जाने संबंधी निर्देश।

——000——

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता, बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। प्रदेश की विभिन्न स्तर की शालाओं में सैकड़ों शिक्षक अतिशेष हैं। शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाना छात्र हित में उचित है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में एक ही परिसर में अथवा निकट में दो या दो से अधिक शालाएं संचालित हैं, ऐसे शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाना है, साथ ही अतिशेष शिक्षकों का शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में युक्तियुक्तकरण किया जाना हैं।

अतः शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण करने हेतु मंत्रिपरिषद् निर्णय दिनांक 09.07.2024 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये जाते हैं:–

**एकः– शालाओं का युक्तियुक्तकरण** – प्रदेश में लगभग बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों का संचालन एक ही परिसर में हो रहा है। एक ही परिसर में संचालित निम्न प्रकार के विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से किया जाना हैं :–

**A. <u>एक ही परिसर में संचालित शालाओं का युक्तियुक्तकरणः–</u>**

01. एक ही परिसर में संचालित दो या दो से अधिक प्राथमिक विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण।
02. एक ही परिसर में संचालित दो या दो से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण।
03. एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण।
04 एक ही परिसर में संचालित पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण।
05. एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल का युक्तियुक्तकरण।
06. एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण।

07 एक ही परिसर में संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण।

**B.** <u>**कम दर्ज संख्या वाले शालाओं का युक्तियुक्तकरण :–**</u> 10 से कम दर्ज संख्या वाली प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शालाओं का निकटस्थ शालाओं में समायोजन किया जायेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं दूरस्थ वनांचल के विद्यालयों के लिये युक्तियुक्तकरण हेतु निर्धारित मापदण्ड के बावजूद जिला समिति के अध्यक्ष कलेक्टर का यह विवेकाधिकार होगा कि वे ऐसे विद्यालयों का स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये युक्तियुक्तकरण पर विचार कर सकेगें। एक ही स्तर के दो विद्यालय जिनके बीच की दूरी कम हो तथा दर्ज संख्या भी कम हो, उनका समायोजन किया जायेगा। ऐसी शालाओं की परस्पर दूरी शहरी क्षेत्र में 500 मीटर तथा दर्ज संख्या 30 से कम एवं ग्रामीण क्षेत्र में दूरी 01 किलोमीटर से कम तथा दर्ज संख्या 10 से कम हो, का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।

**C.** <u>**युक्तियुक्तकरण हेतु समिति का गठनः–**</u> शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण हेतु निम्नानुसार दो समिति का गठन किया जायेगाः–

**iii.** **विकासखण्ड स्तरीय समिति** – समिति के निम्नानुसार पदाधिकारी होगें–

| | |
|---|---|
| A.अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) | –अध्यक्ष |
| B. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | –सदस्य सचिव |
| C सहा.वि. शिक्षा अधिकारी | –सदस्य |
| D.वि.ख. स्त्रोत समन्वयक | –सदस्य |
| E. परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास | –सदस्य |

**iv.** **जिला स्तरीय समिति** – समिति के निम्नानुसार पदाधिकारी होगें–

| | |
|---|---|
| A. जिला कलेक्टर | –अध्यक्ष |
| B. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | –सदस्य |
| C. जिला मुख्यालय के आयुक्त, नगर निगम /मुख्य नगर पालिका अधिकारी | –सदस्य |
| D. जिला शिक्षा अधिकारी | –सदस्य सचिव |
| E. जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला महिला बाल विकास अधिकारी | –सदस्य |

**D.** <u>**विकासखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के दायित्व :–**</u>

➢ **विकासखण्ड समिति के दायित्वः–**

1. युक्तियुक्तकरण हेतु शालाओं का चिन्हांकन एवं उसे सूचीबद्ध करना।
2. युक्तियुक्तकरण हेतु अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन एवं उसे सूचीबद्ध करना।
3. रिक्त पदों की शालावार सूची बनाना।

4. बिंदु क्र. 1 से 3 तक की सूचियों को जिला स्तरीय समिति को भेजना।
5. विकासखण्ड स्तरीय समिति इस बात का प्रमाण पत्र देगी कि उसके द्वारा नियमानुसार अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया गया है तथा इसमें अन्यत्र संलग्न शिक्षकों का नाम भी शामिल है, जिनकी मूल पदस्थापना अतिशेष शिक्षकों वाली शाला में है।
6. विकासखण्ड स्तरीय समिति यह भी प्रमाणित करेगी कि उनके द्वारा दिये गये रिक्त पदों की संख्या वास्तविक है कोई भी रिक्त पद छूटा नहीं है।

**(संलग्नः— प्रमाण पत्र प्रारूप)**

➢ **जिला समिति के दायित्वः—**

1. विकासखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त शालाओं की सूची का परीक्षण करना।
2. युक्तियुक्तकरण किये जाने वाले विद्यालय की सूची संचालक, लोक शिक्षण को प्रेषित करना।
3. विकासखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त अतिशेष शिक्षकों की सूची का परीक्षण (शिक्षक का नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थल, विषय तथा संस्था में कार्यभार ग्रहण दिनांक आदि) करना एवं युक्तियुक्तकरण पदस्थापना आदेश जारी करना।
4. जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण के पश्चात् रिक्त पद न होने के कारण शेष रह गए अतिशेष शिक्षकों की सूची संभागीय संयुक्त संचालक को भेजना।

**दो :— युक्तियुक्तिकरण हेतु शालाओं का चिन्हांकन एवं युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया :—**

01. विकासखण्ड स्तरीय समिति युक्तियुक्तकरण किये जाने वाली शालाओं का चिन्हांकन करेगी। यह समिति एक ही परिसर में संचालित होने वाले समस्त विद्यालयों का भौतिक परीक्षण करेगी। (संलग्न :— **परिशिष्ठ 1**)
02. समिति पूर्व माध्यमिक शाला, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी विषयवार सूचीबद्ध करेगी। (संलग्न :— **परिशिष्ठ 2**)
03. विकासखण्ड स्तरीय समिति 10 से कम दर्ज संख्या वाली शालाओं की सूची बनायेगी, जिससे इनका समायोजन निकट की शाला में किया जा सके। (संलग्न **परिशिष्ठ 3 'अ'**)
04. विकासखण्ड स्तरीय समिति शहरी क्षेत्र हेतु 30 से कम दर्ज संख्या वाले तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 10 से कम दर्ज संख्या वाले प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की सूची भौतिक परीक्षण कर बनायेगी। ऐसे विद्यालयों की परस्पर दूरी शहरी क्षेत्र के लिये 500 मीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 01 किलोमीटर से कम होगी। (संलग्न **परिशिष्ठ 3 'ब'**)

05. कम दर्ज संख्या के मान से समीप के दो प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण की स्थिति में अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालय में कम दर्ज संख्या वाले विद्यालय का समायोजन किया जायेगा। समायोजन के पश्चात् विद्यालय का संचालन अच्छी अधोसंरचना वाले भवन में किया जायेगा। समस्त अभिलेखों एवं सामग्री का संधारण बड़ी दर्ज संख्या वाले विद्यालय के संस्था प्रमुख करेंगे।

06. यदि कोई विद्यालय ऐतिहासिक महत्व का है, किन्तु दर्ज संख्या कम हो तो भी इस विद्यालय का युक्तियुक्तकरण किसी अन्य विद्यालय मे नहीं होगा, बल्कि इस विद्यालय को यथावत रखते हुए उसी परिसर अथवा निकट के अन्य विद्यालय का समायोजन इस ऐतिहासिक महत्व वाले विद्यालय में किया जायेगा। समस्त अभिलेखों एवं सामग्रियों का संधारण ऐतिहासिक महत्व वाले शाला के संस्था प्रमुख करेंगे।

07. युक्तियुक्तकरण उपरांत समायोजित की गई शाला भवन का उपयोग आवश्यकतानुसार उसी परिसर में किया जायेगा। यदि पृथक–पृथक परिसर हो तो यह विद्यालय भवन स्कूल शिक्षा विभाग के आधिपत्य में ही रहेगा। ऐसे भवनो का उपयोग शासन की अनुमति से आवश्यकता अनुसार विभाग के हित में किया जायेगा।

08. जिस शाला का समायोजन किया गया है, उस शाला के समस्त अभिलेख एवं सामग्री समायोजित शाला के संस्था प्रमुख द्वारा शाला में सुरक्षित एवं संधारित रखे जायेगें। समायोजन पश्चात् शालाओं के अभिलेख एकीकृत होंगे।

09. एक ही परिसर में संचालित होने वाली प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला का समायोजन होगा, अर्थात् प्राथमिक शाला का युक्तियुक्तकरण पूर्व माध्यमिक शाला के साथ होगा। समस्त अभिलेख एवं सामग्री पूर्व माध्यमिक शाला के संस्था प्रमुख सुरक्षित एवं संधारित रखेगें। समायोजन पश्चात् शालाओं के अभिलेख एकीकृत होंगे।

10. एक ही परिसर में संचालित होने वाली प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल शाला का समायोजन होगा, अर्थात् प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला का युक्तियुक्तकरण हाईस्कूल के साथ होगा। समस्त अभिलेख एवं सामग्री हाईस्कूल के संस्था प्रमुख सुरक्षित एवं संधारित रखेगें। समायोजन पश्चात् शालाओं के अभिलेख एकीकृत होंगे।

11. एक ही परिसर में संचालित होने वाली पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल शाला का समायोजन होगा, अर्थात् पूर्व माध्यमिक शाला का युक्तियुक्तकरण हाईस्कूल के साथ होगा। समस्त अभिलेख एवं सामग्री हाईस्कूल के संस्था प्रमुख सुरक्षित एवं संधारित रखेगें। समायोजन पश्चात् शालाओं के अभिलेख एकीकृत होंगे।

12. एक ही परिसर में संचालित होने वाली प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल का समायोजन होगा, अर्थात् प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला का युक्तियुक्तकरण हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के साथ होगा। समस्त अभिलेख एवं सामग्री हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के संस्था प्रमुख सुरक्षित एवं संधारित रखेगें। समायोजन पश्चात् शालाओं के अभिलेख एकीकृत होंगे।
13. एक ही परिसर में संचालित होने वाली हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल का समायोजन होगा, अर्थात् हाईस्कूल का युक्तियुक्तकरण हायर सेकेण्डरी स्कूल के साथ होगा। समस्त अभिलेख एवं सामग्री हायर सेकेण्डरी स्कूल के संस्था प्रमुख सुरक्षित एवं संधारित रखेगें। समायोजन पश्चात् शालाओं के अभिलेख एकीकृत होंगे।
14. विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों/पीएम श्री विद्यालयों का समायोजन नहीं किया जायेगा।
15. युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से संबंधित शाला की शाला प्रबंधन समिति/शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को अवगत कराया जायेगा।
16. अभिलेख संधारण एवं सामग्रियों के संधारण के संबंध में संचालक, लोक शिक्षण द्वारा पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेगें।

**तीन :– युक्तियुक्तकरण किये जाने वाले विद्यालयों की सूची का प्रेषण :–**

1. विकासखण्ड स्तरीय समिति युक्तियुक्तकरण किये जाने वाले विद्यालयों की सूची समिति के हस्ताक्षर से जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष को सौंपेगी।
2. विकासखण्ड स्तरीय समिति यह प्रमाणित करेगी कि युक्तियुक्तकरण योग्य कोई भी शाला छूटी नहीं है। (संलग्न – **प्रमाण पत्र प्रारूप**)

**चार :– जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा :–**

01 विकासखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त युक्तियुक्तकरण योग्य शालाओं की सूची का परीक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

02 जिला स्तरीय समिति परीक्षण उपरान्त शालाओं के युक्तियुक्तकरण प्रस्ताव अनुशंसा सहित समिति के हस्ताक्षर से संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को भेजेगी।

03 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रेषित सूची का परीक्षण करेंगे। परीक्षण उपरान्त प्रदेश के युक्तियुक्तकरण किये जाने वाले विद्यालयों की सूची को संचालक, लोक शिक्षण द्वारा शासन को भेजा जायेगा।

04 छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा युक्तियुक्तकरण किये जाने वाले विद्यालयों का आदेश जारी किया जायेगा।

**पाँच :— शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण :—** शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण निम्नानुसार किया जायेगा :—

1. शालाओं के युक्तियुक्तकरण के फलस्वरूप अतिशेष हुये शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण।
2. युक्तियुक्तकृत विद्यालयों से पृथक अन्य विद्यालय जहां दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक अतिशेष कार्यरत है, का युक्तियुक्तकरण। (संलग्न :— **परिशिष्ठ 4 'अ' एवं 'ब'**)
3. हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में एक विषय के लिये स्वीकृत पद के विरूद्ध एक से अधिक कार्यरत व्याख्याता में से अतिशेष का युक्तियुक्तकरण। यदि किसी हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल में अतिथि शिक्षक पदस्थ है तो, उस विद्यालय के नियमित व्याख्याता को अतिशेष की श्रेणी में रखा जायेगा।

**छः :— अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन :—**

1. विकासखण्ड स्तरीय समिति एक ही परिसर में स्थित दो या दो से अधिक प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की दर्ज संख्या एवं कार्यरत शिक्षकों की विद्यालय में पदस्थापना तिथि के आधार पर अतिशेष शिक्षकों की जानकारी सूचीबद्ध करेगी, साथ ही समिति निकट के कम दर्ज संख्या वाले विद्यालयों के अतिशेष शिक्षकों की सूची भी तैयार करेगी। (संलग्न :— **परिशिष्ठ 5**)
2. विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा दर्ज संख्या के अनुपात में रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची तैयार की जायेगी।
3. विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा विषयवार रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची तैयार की जायेगी।
4. अंतिम रूप से तैयार सूची के आधार पर जिला स्तरीय समिति अतिशेष शिक्षकों का रिक्त पदों पर पदांकन काउंसलिंग के माध्यम से करेगी।
5. ई संवर्ग के अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना ई संवर्ग की शालाओं में तथा टी संवर्ग के अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना टी संवर्ग की शालाओं में की जायेगी।
6. जिला स्तर पर पदस्थापना के पश्चात् रिक्त स्थान न होने के कारण कुछ अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना शेष रह जाती है तो इनकी सूची जिला समिति द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक को प्रेषित किया जायेगा। संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा इसका परीक्षण कर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना की कार्यवाही की जायेगी। सहायक शिक्षक का पद जिला कैडर का है। अतः इनकी पदस्थापना जिले से बाहर नहीं होगी। इसी तरह शिक्षक का पद संभाग कैडर का है। अतः इनकी पदस्थापना संभाग के बाहर नहीं होगी। अतिशेष व्याख्याता जिनका समायोजन जिला एवं संभाग स्तर पर नहीं हो पा रहा है उसकी सूची संभागीय संयुक्त संचालक

द्वारा संचालक, लोक शिक्षण को प्रेषित की जायेगी। संचालक, लोक शिक्षण द्वारा शेष अतिशेष व्याख्याताओं का पदांकन काउंसलिंग के माध्यम से किया जायेगा।

**सात :— अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन हेतु प्रक्रिया:—**

विकासखण्ड स्तरीय समिति युक्तियुक्तकरण वाले विद्यालयों के अतिशेष शिक्षकों तथा अन्य विद्यालयों के अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायेगी:—

**A. प्राथमिक शाला :—**

01. एक ही परिसर में युक्तियुक्तकरण वाले प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की गणना की जायेगी। चूंकि प्रधान पाठक शिक्षकीय पद है अतः इसकी गणना शिक्षकीय पद के रूप में की जायेगी। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या को जोड़कर शिक्षक की गणना छात्र अनुपात में की जायेगी।
02. युक्तियुक्तकरण वाले प्राथमिक विद्यालयों की कुल दर्ज संख्या यदि 60 या उससे कम है वहां एक प्रधान पाठक एवं एक सहायक शिक्षक रहेंगे। शेष अतिशेष की श्रेणी में आयेंगे। यदि दोनों प्राथमिक शालाओं में प्रधान पाठक पदस्थ है तो जो प्रधान पाठक कनिष्ठ होगा उसे अतिशेष माना जायेगा तथा जहाँ कोई भी प्रधानपाठक पदस्थ नहीं है वहाँ दो शिक्षक पदस्थ रहेगें।
03. जिन विद्यालयों की दर्ज संख्या 61 से 90 होगी वहां प्रधान पाठक सहित तीन शिक्षक, 91 से 120 में प्रधान पाठक सहित चार शिक्षक, 121 से 150 तक की दर्ज संख्या में प्रधान पाठक सहित 5 शिक्षक रहेंगे। इसी प्रकार आगामी वृद्धि पर शिक्षक पदस्थ किये जाये की कार्यवाही की जायेगी।
04. शाला में पदस्थ/कार्यभार ग्रहण दिनांक के आधार पर कनिष्ठतम सहायक शिक्षक अतिशेष माने जायेंगे।
05. समीप की प्राथमिक शालाओं के युक्तियुक्तकरण के फलस्वरूप अतिशेष शिक्षकों की गणना बिंदु क्र. 01 से 04 अनुसार की जायेगी।
06. बिन्दु क्र. 01 से 05 से पृथक अन्य प्राथमिक विद्यालय जिनका युक्तियुक्तकरण नहीं किया गया है, परंतु वहां दर्ज संख्या के अनुपात में सहायक शिक्षक अतिशेष है, विकासखण्ड स्तरीय समिति उनकी भी पृथक से सूची तैयार करेगी।

**B. पूर्व माध्यमिक शाला :—**

01. एक ही परिसर के युक्तियुक्तकरण वाले पूर्व माध्यमिक शालाओं में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की गणना की जायेगी। प्रधान पाठक को भी शिक्षकीय पद के रूप में जोड़कर शिक्षकों की गणना की जायेगी।

02. युक्तियुक्तकरण वाले पूर्व माध्यमिक शालाओं में जिनकी दर्ज संख्या 105 या उससे कम है वहां प्रधान पाठक एवं तीन शिक्षक पदस्थ रहेंगे। इसके अतिरिक्त पदस्थ शिक्षक अतिशेष माने जायेंगे। पूर्व माध्यमिक शाला में अतिशेष की गणना करते समय प्रधान पाठक सहित दोनों विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के विषय को ध्यान में रखा जायेगा। यदि दोनों विद्यालयों मे प्रधान पाठक पदस्थ हैं तो, जो प्रधान पाठक कनिष्ठ है उसे अतिशेष माना जायेगा।

03. जिन विद्यालयों की दर्ज संख्या 106 से 140 है वहां प्रधान पाठक सहित पांच शिक्षक पदस्थ होंगे। इसी तरह प्रत्येक 35 छात्र संख्या में एक अतिरिक्त शिक्षक देय होगा। अतिशेष की गणना करते समय विषय को ध्यान में रखा जायेगा।

04. शाला में पदस्थ/कार्यभार ग्रहण दिनांक के आधार पर एक ही विषय के दो शिक्षक में से कनिष्ठतम को अतिशेष माना जायेगा।

05. विषय की गणना करते समय विषय शिक्षकों (प्रधान पाठक सहित) का चक्रानुक्रम निम्नानुसार होगाः–
(i) अंग्रेजी (ii) गणित (iii) कला (iv) विज्ञान (v) हिन्दी
(vi) संस्कृत/उर्दू/वाणिज्य

06. समीपस्थ दो पूर्व माध्यमिक शालाओं के युक्तियुक्तकरण में शिक्षकों के अतिशेष की गणना बिन्दु क्र. 1 से 5 अनुसार की जायेगी।

07. बिन्दु क्र. 01 से 06 के विद्यालयों से पृथक अन्य पूर्व माध्यमिक शालाएं जिनका युक्तियुक्तकरण नहीं किया गया है, परंतु दर्ज संख्या के अनुपात में वहां अतिशेष शिक्षक कार्यरत हैं, विकासखण्ड स्तरीय समिति ऐसे विद्यालयों के अतिशेष शिक्षकों की सूची पृथक से तैयार करेगी।

**C. हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल :–**

1. हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल में जहां दर्ज संख्या बहुत कम है, और वहाँ एक ही विषय के दो व्याख्याता कार्यरत है (प्रति व्याख्याता अध्यापन 04 कालखण्ड से कम), तो उनमें से कनिष्ठतम अतिशेष होगा।
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल में स्वीकृत किसी संकाय में एक भी छात्र/छात्रा अध्ययनरत् नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित संकाय के व्याख्याताओं को जिन स्कूलों में उस संकाय के छात्र अध्ययनरत् है, वहां समायोजित किया जायेगा।
3. हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में स्वीकृत पद के विरूद्ध एक से अधिक व्याख्याता कार्यरत होने पर दोनों में से जो कनिष्ठ होगा उसे अतिशेष माना जायेगा।

4. विकासखण्ड स्तरीय समिति उपरोक्त निर्देश अनुसार अतिशेष व्याख्याताओं की सूची एवं विद्यालयवार पद रिक्तता की सूची तैयार करेगी।

**आठ :— विद्यार्थियों का समायोजन :—**

विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण में कम दर्ज संख्या वाले विद्यालय के विद्यार्थियों का समायोजन अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालय में किया जायेगा।

**नौ :— लिपिक एवं भृत्य संवर्ग का समायोजनः—**

एक ही परिसर के युक्तियुक्तकृत किये गये विद्यालयों एवं कम दर्ज संख्या वाले समीप के विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत इन विद्यालयों में कार्यरत लिपिक एवं भृत्य संवर्ग के कर्मचारियों का समायोजित शाला में समायोजन किया जाएगा (संलग्न :— **परिशिष्ठ 6**)। अंशकालीन स्वीपर एवं रसोईया के संबंध में पृथक से संचालक, लोक शिक्षण द्वारा आदेश जारी किये जायेगें।

**दस :— काउंसलिंग की प्रक्रिया :—**

अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना पारदर्शी कॉउंसलिंग के माध्यम से की जायेगी। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

1. अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना सर्वप्रथम शिक्षक विहिन विद्यालयों में की जायेगी इसके पश्चात् एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थापना की जायेगी।
2. शिक्षक विहिन विद्यालयों एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थापना के पश्चात् जिन शालाओं में दर्ज संख्या अधिक है, तो उनमें आवश्यकतानुसार पदस्थापना की जायेगी।
3. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों तथा हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी में पदस्थापना हेतु विषय का ध्यान रखा जायेगा।
4. काउंसलिंग हेतु जितने शिक्षक अतिशेष है उतनी ही संख्या में शिक्षक विहीन, एकल शिक्षकीय एवं अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों को दर्शित किया जाये। किन्तु यहां यह ध्यान में रखा जायेगा कि, सभी शिक्षक विहीन विद्यालयों एवं इसके पश्चात् सभी एकल शिक्षकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से दर्शित किया जाये। तद्नुपरांत आवश्यकतानुसार अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों को दर्शित किया जाये।
5. अतिशेष शिक्षकों की गणना करते समय दिव्यांग कोटे के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक यदि कनिष्ठतम है तो उक्त दिव्यांग शिक्षक को छोड़कर अन्य कनिष्ठ शिक्षक की गणना अतिशेष के रूप में की जायेगी।
6. जो शिक्षक परीविक्षा अवधि में हैं, उनकी गणना अतिशेष के रूप में नहीं की जायेगी क्योकि, परीविक्षा अवधि समाप्ति के पश्चात् ही उनकी संस्था में परिवर्तन संभव है।

7. काउंसलिंग में रिक्त स्थानों का चयन करने के लिये अतिशेष शिक्षकों को वरीयता क्रम में नीचे दिये क्रम अनुसार काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाये:–
   1. ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति 02 वर्ष या उससे कम हो।
   2. महिला शिक्षिका। (वरिष्ठता सूची के आधार पर)
   3. शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठन के पात्र पदाधिकारी।
   4. संकुल शैक्षिक समन्वयक। (वरिष्ठता सूची के आधार पर)
   5. अन्य शिक्षक। (वरिष्ठता सूची के आधार पर)

संलग्न :– (1) परिशिष्ठ क्रमांक 1–6
(2) जिला/विकासखंड स्तरीय समिति का प्रमाण पत्र

(सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्र. एफ 2–24/2024/20–तीन, नवा रायपुर, दिनांक 02/08 /2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग.शासन, मान. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, छ.ग.।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, छ.ग.।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग., नवा रायपुर अटल नगर।
4. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छ.ग. रायपुर।
5. प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक छ.ग.।

**की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।**

7. आर्डर फोल्डर।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, 2/8/24
स्कूल शिक्षा विभाग

::परिशिष्ठ 1::

<u>एक ही परिसर में संचालित विद्यालयों की जानकारी का प्रपत्र</u>

| स.क्र. | वि.ख. का नाम | एक ही परिसर में संचालित दो या दो से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के नाम (यू डाईस कोड सहित) | एक ही परिसर में संचालित दो या दो से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के नाम (यू डाईस कोड सहित) | एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय के नाम (यू डाईस कोड सहित) | एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल विद्यालय के नाम (यू डाईस कोड सहित) | एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय के नाम (यू डाईस कोड सहित) | एक ही परिसर में संचालित पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल विद्यालय के नाम (यू डाईस कोड सहित) | एक ही परिसर में संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय के नाम (यू डाईस कोड सहित) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

| सदस्य | सदस्य | सदस्य सचिव | अध्यक्ष |
|---|---|---|---|
| विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक | सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) |

::परिशिष्ठ 2::

एक ही परिसर में संचालित विद्यालयों के शिक्षकों की विषयवार जानकारी का प्रपत्र

| स.क्र. | वि.ख. का नाम | एक ही परिसर में संचालित दो या दो से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के नाम | | एक ही परिसर में संचालित दो या दो से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के नाम | | एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के नाम | | एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के नाम | | एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के नाम | | एक ही परिसर में संचालित पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के नाम | | एक ही परिसर में संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के नाम | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नाम | संस्था में कार्यभार ग्रहण दिनांक | नाम एवं विषय | संस्था में कार्यभार ग्रहण दिनांक | नाम एवं विषय | संस्था में कार्यभार ग्रहण दिनांक | नाम एवं विषय | संस्था में कार्यभार ग्रहण दिनांक | नाम एवं विषय | संस्था में कार्यभार ग्रहण दिनांक | नाम एवं विषय | संस्था में कार्यभार ग्रहण दिनांक | नाम एवं विषय | संस्था में कार्यभार ग्रहण दिनांक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

सदस्य
विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक

सदस्य
सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी

सदस्य सचिव
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी

अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

## ::परिशिष्ठ 3 'अ'::

### <u>दस से कम दर्ज संख्या वाले विद्यालयों की सूची का प्रपत्र</u>

| स.क्र. | विकासखण्ड का नाम | विद्यालय का स्तर (प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक | युक्तियुक्तकृत किये जाने वाले विद्यालयों का नाम | | युक्तियुक्तकृत किये जाने वाले विद्यालयों की दर्ज संख्या | | दोनो विद्यालयों की परस्पर दूरी | विशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 से कम दर्ज संख्या वाले विद्यालय का नाम | विद्यालय का नाम जिसमें युक्तियुक्तकृत किया जाना है | दर्ज संख्या (कॉलम 4 अनुसार) | दर्ज संख्या (कॉलम 5 अनुसार) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

टीपः— इन शालाओं में वनांचल क्षेत्र की दूरस्थ शालाओं को नहीं लिया जाना है।

| सदस्य | सदस्य | सदस्य सचिव | अध्यक्ष |
|---|---|---|---|
| विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक | सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) |

## ::परिशिष्ठ 3 'ब'::

### <u>कम दर्ज संख्या वाले निकट के विद्यालयों की सूची का प्रपत्र</u>

(शहरी क्षेत्र हेतु 30 से कम दर्ज संख्या एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 10 से कम दर्ज संख्या)

| स.क्र. | विकासखण्ड का नाम | विद्यालय का स्तर (प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक | युक्तियुक्तकृत किये जाने वाले विद्यालयों का नाम | | युक्तियुक्तकृत किये जाने वाले विद्यालयों की दर्ज संख्या | | दोनो विद्यालयों की परस्पर दूरी | विशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कम दर्ज संख्या वाले विद्यालय का नाम | विद्यालय का नाम जिसमें युक्तियुक्तकृत किया जाना है | दर्ज संख्या (कॉलम 4 अनुसार) | दर्ज संख्या (कॉलम 5 अनुसार) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

| सदस्य | सदस्य | सदस्य सचिव | अध्यक्ष |
|---|---|---|---|
| विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक | सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) |

## ::परिशिष्ठ 4 'अ'::

### युक्तियुक्तकृत विद्यालय से पृथक अन्य विद्यालय में कार्यरत सहा.शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता की जानकारी का प्रपत्र

| स.क्र. | विकासखण्ड का नाम | प्राथमिक शाला | | | पूर्व माध्यमिक शाला | | | हाईस्कूल | | | हायर सेकेण्डरी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सहा. शिक्षक का नाम | संस्था में कार्यभार ग्रहण दिनांक | पदस्थ संस्था (यू डाईस कोड सहित) | शिक्षक का नाम (विषय सहित) | संस्था में कार्यभार ग्रहण दिनांक | पदस्थ संस्था (यू डाईस कोड सहित) | व्याख्याता नाम (विषय सहित) | संस्था में कार्यभार ग्रहण दिनांक | पदस्थ संस्था (यू डाईस कोड सहित) | व्याख्याता नाम (विषय सहित) | संस्था में कार्यभार ग्रहण दिनांक | पदस्थ संस्था (यू डाईस कोड सहित) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **सदस्य** | **सदस्य** | **सदस्य सचिव** | **अध्यक्ष** |
| विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक | सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) |

## ::परिशिष्ठ 4 'ब'::

**युक्तियुक्तकृत विद्यालय से पृथक अन्य विद्यालय में कार्यरत अतिशेष सहा.शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता की जानकारी का प्रपत्र**

| स.क्र. | विकासखण्ड का नाम | प्राथमिक शाला | | पूर्व माध्यमिक शाला | | हाईस्कूल | | हायर सेकेण्डरी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सहायक शिक्षक का नाम | पदस्थ संस्था (यू डाईस कोड सहित) | शिक्षक का नाम (विषय सहित) | पदस्थ संस्था (यू डाईस कोड सहित) | व्याख्याता का नाम (विषय सहित) | पदस्थ संस्था (यू डाईस कोड सहित) | व्याख्याता का नाम (विषय सहित) | पदस्थ संस्था (यू डाईस कोड सहित) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| | | | | | | | | | |

सदस्य
विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक

सदस्य
सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी

सदस्य सचिव
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी

अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

## ::परिशिष्ठ 5::

### अतिशेष शिक्षक/व्याख्याता की सूची का प्रपत्र

| स.क्र. | विकासखण्ड का नाम | एक ही परिसर में दो या दो से अधिक प्राथमिक विद्यालयो के अतिशेष शिक्षकों की जानकारी | | एक ही परिसर में दो या दो से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अतिशेष शिक्षकों की जानकारी | | समीप के दो या दो से अधिक प्राथमिक विद्यालयो के अतिशेष शिक्षकों की जानकारी | | समीप के दो या दो से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयो के अतिशेष शिक्षकों की जानकारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शिक्षक का नाम (विषय सहित) | पदस्थ संस्था (यू डाईस कोड सहित) | शिक्षक का नाम (विषय सहित) | पदस्थ संस्था (यू डाईस कोड सहित) | शिक्षक का नाम (विषय सहित) | पदस्थ संस्था (यू डाईस कोड सहित) | शिक्षक का नाम (विषय सहित) | पदस्थ संस्था (यू डाईस कोड सहित) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

| सदस्य | सदस्य | सदस्य सचिव | अध्यक्ष |
|---|---|---|---|
| विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक | सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) |

## ::परिशिष्ठ 6::

**एक ही परिसर में युक्तियुक्तकृत की गई शालाओं एवं समीप की युक्तियुक्तकृत की गई शालाओं में पदस्थ लिपिक एवं भृत्य संवर्ग से संबंधित प्रपत्र**

| स.क्र. | विकासखण्ड का नाम | युक्तियुक्तकृत की गई शालाओं का नाम | | | | | | समीप की युक्तियुक्तकृत की गई शालाओं का नाम | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राथमिक शाला में पदस्थ भृत्य का नाम एवं पदस्थ संस्था | पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ भृत्य का नाम एवं पदस्थ संस्था | हाईस्कूल | | हायर सेकेण्डरी | | प्राथमिक शाला में पदस्थ भृत्य का नाम एवं पदस्थ संस्था | पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ भृत्य का नाम एवं पदस्थ संस्था | हाईस्कूल | | हायर सेकेण्डरी | |
| | | | | लिपिक का नाम एवं पदस्थ संस्था | भृत्य का नाम एवं पदस्थ संस्था | लिपिक का नाम एवं पदस्थ संस्था | भृत्य का नाम एवं पदस्थ संस्था | | | लिपिक का नाम एवं पदस्थ संस्था | भृत्य का नाम एवं पदस्थ संस्था | लिपिक का नाम एवं पदस्थ संस्था | भृत्य का नाम एवं पदस्थ संस्था |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| सदस्य | सदस्य | सदस्य सचिव | अध्यक्ष |
|---|---|---|---|
| विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक | सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) |

## —::विकासखण्ड स्तरीय समिति का प्रमाण पत्र::—

प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में युक्तियुक्तकरण किये जाने वाले समस्त विद्यालयों को शामिल किया गया है, युक्तियुक्तकरण योग्य कोई भी विद्यालय नहीं छूटा है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विकासखण्ड के विभिन्न स्तर के विद्यालयों में कार्यरत समस्त अतिशेष शिक्षकों को सूची में शामिल किया गया हैं, कोई भी अतिशेष शिक्षक नहीं छूटा हैं। साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विकासखण्ड के विभिन्न स्तर के विद्यालयों में रिक्त समस्त पदों को शामिल किया गया हैं, कोई भी रिक्त पद नहीं छूटा हैं।

| सदस्य | सदस्य | सदस्य सचिव | अध्यक्ष |
|---|---|---|---|
| विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक | सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) |

## —::जिला स्तरीय समिति का प्रमाण पत्र::—

प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण के लिये दिये गये निर्देश के अनुक्रम में युक्तियुक्तकरण किये जाने वाले समस्त विद्यालयों को शामिल किया गया है, युक्तियुक्तकरण योग्य कोई भी विद्यालय नहीं छूटा है।

| सदस्य | सदस्य | सदस्य सचिव | अध्यक्ष |
|---|---|---|---|
| जिला मुख्यालय के आयुक्त नगर निगम /मुख्य नगर पालिका अधिकारी | मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत | जिला शिक्षा अधिकारी | कलेक्टर |

# लोक शिक्षण संचालनालय
# छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)
(दूरभाष कमांक 0771.2331385 फैक्स कमांक 0771.2445215, ईमेल– cg.dpi.dir@gmail.com)

क्रमांक / स्था.02 / युक्ति. / 83 / 2025 / 290 नवा रायपुर, दिनांक 25 / 04 / 2025

प्रति,

सचिव,
छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय महानदी भवन,
अटल नगर नवा रायपुर

विषयः– शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण की संशोधित समय सारिणी अनुमोदन विषयक।

संदर्भः– छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. एफ 2–24 / 2024 / 20–तीन, नवा रायपुर, दिनांक 02.08.2024

——000——

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहें। शासन द्वारा जारी पत्र के अनुक्रम में पूर्व में शालाओं एवं शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण की प्रकिया की गई थी, जिसे बाद में स्थगित किया गया था। यह प्रकिया पुनः प्रारंभ की जानी है, युक्तियुक्तकरण प्रकिया के लिए प्रस्तावित समय सारिणी निम्नानुसार हैः–

## शालाओं का युक्तियुक्तकरण

| क्र. | कार्य का विवरण | निर्धारित समय सीमा |
|---|---|---|
| 1 | शालाओं के युक्तियुक्तिकरण हेतु विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा शालाओं का चिन्हांकन | 07 मई 2025 तक |
| 2 | विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा युक्तियुक्तिकृत शालाओं की सूची का जिला स्तरीय समिति को प्रेषण | 12 मई 2025 तक |
| 3 | जिला स्तरीय समिति द्वारा युक्तियुक्तिकृत शालाओं की सूची का संचालक, लोक शिक्षण को प्रेषण | 15 मई 2025 तक |
| 4 | संचालक, लोक शिक्षण द्वारा युक्तियुक्तकृत शालाओं की सूची का परीक्षण कर शासन को प्रेषण | 18 मई 2025 तक |
| 5 | शासन द्वारा युक्तियुक्तकृत शालाओं को आदेश जारी करना | 25 मई 2025 तक |

## शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण

| क्र. | कार्य का विवरण | निर्धारित समय सीमा |
|---|---|---|
| 1 | शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण हेतु अतिशेष शिक्षकों का विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हांकन | 15 मई 2025 तक |
| 2 | अंतिशेष शिक्षकों एवं रिक्त पदों की सूची का विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति को प्रेषण | 20 मई 2025 तक |
| 3 | विकासखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त अतिशेष शिक्षकों की सूची का परीक्षण | 28 मई 2025 तक |
| 4 | जिला स्तरीय समिति द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करना | 04 जून 2025 तक |
| 5 | जिला स्तरीय समिति द्वारा पदस्थापना उपरान्त प्रेषित अतिरिक्त अतिशेष शिक्षकों का संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करना | 07 जून 2025 तक |
| 6 | संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पदस्थापना उपरान्त प्रेषित अतिरिक्त अतिशेष व्याख्याता का संचालक, लोक शिक्षण द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करना | 10 जून 2025 तक |

उपरोक्त समस्त प्रक्रिया की सुचारू से संचालन के लिए संचालनालय स्तर पर दिनांक 30 अप्रैल 2025 को जिला शिक्षा अधिकारियों एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की जायेगी। दिनांक 01 मई 2025 को कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जायेगी।

समय सारिणी अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़